



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082021-229201
CG-DL-E-24082021-229201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3172]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943

No. 3172]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3461(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा-16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एसिटोन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) यह आदेश 13 मार्च, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 13012/24/2019-रसा.II]

समीर कुमार विश्वास, अपर सचिव

नोट: एसिटोन के लिए मुख्य आदेश को 16 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1896(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे दिनांक 9 सितंबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 3087(अ) और दिनांक 8 मार्च, 2021 की अधिसूचना का.आ. 1097(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3461(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Acetone (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following subparagraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 13th March, 2022.”

[F. No. 13012/24/2019- Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Additional Secy.

Note: The principal order for Acetone was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 1896(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification number S.O. 3087(E) dated the 09th September, 2020 and S.O. 1097(E) dated the 8th March, 2021.